



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63008

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6047/2026

अशोक कुमार गुप्ता

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: पुष्पराज साहू, विनय कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की तरफ से पेश किया गया पूरक हलफनामा दर्ज किया जाता है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार और राज्य प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत आवेदक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उसे पुलिस स्टेशन हंडिया, जिला प्रयागराज में पंजीकृत मामला अपराध संख्या 714/2024, बीएनएस की धारा 109, 351(2) और शस्त्र

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिनियम की धारा 4/25 के तहत चल रहे मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में गलत इरादे से फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि हालांकि आवेदक को धारदार हथियार (बांका) से हमला करने का खास काम सौंपा गया है, लेकिन घायल ने बीएनएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि आवेदक ने कई बार धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर हमला किया है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट और बीएनएस की धारा 180 के तहत दर्ज घायल के बयान में भौतिक विरोधाभास हैं। आगे यह कहा जाता है कि आवेदक 07.01.2025 से जेल में बंद है और मामले का विचारण निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है और अब तक केवल गवाह की मुख्य परीक्षा पूरी हुई है। आगे यह कहा जाता है कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

5. प्रति विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है।

6. हालांकि आवेदक को तेज धार वाले हथियार (बांका) से हमला करने की विशेष भूमिका दी गई है, फिर भी, घायल ने बीएनएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि आवेदक ने कई बार तेज धार वाले हथियार से उसकी गर्दन पर हमला किया है। यह भी कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट और बीएनएस की धारा 180 के तहत दर्ज घायलों के बयान में काफी अंतर है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह भी कहा गया है कि आवेदक 07.01.2025 से जेल में बंद है और मामले की सुनवाई जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं है और अभी तक सिर्फ गवाह का एग्जामिनेशन-इन-चीफ पूरा हुआ है।

7. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और सबूत से परिलक्षित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूं। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. यदि उपरोक्त मामले में आवेदक **अशोक कुमार गुप्ता** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और उतनी ही राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, भय या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा।

(iii) आवेदक को (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर विचारण न्यायालय में स्वयं उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

26 मार्च 2026

आरकेएम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”